राजकाज

जयपुर

विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों ने जताई नाराजगी

प्रश्नकाल में हंगामा ठीक नहीं

विधानसभा की बैठकों की संख्या बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन का सुझाव, विधानसभा अध्यक्ष दीपेन्द्रसिंह ने पेश किया प्रतिवेदन

सम्मेलन की अध्यक्षता करते लोकसभाध्यक्ष मीराकुमार, सहसभापति विधानसभाध्यक्ष दीपेंद्रसिंह।

विशेष प्रतिनिधि | जयपुर

लोकसभा, राज्यसभा, विधान मंडलों के पीठासीन अधिकारी प्रश्नकाल में होने वाले हंगामे से नाखुश हैं। इन्होंने प्रश्नकाल को बाधित करने की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने की जरूरत बताई है।

जयपुर में चल रहे विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 76वें सम्मेलन में गुरुवार को प्रश्नकाल में व्यवधान की समस्या पर विचार किया गया। इस सत्र की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति के. रहमान खान ने की। इसमें राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष दीपेन्द्रसिंह शेखावत, अरुणाचल के वांगलिन लोवांगडांग, छत्तीसगढ़ के धर्मपाल कौशिक, गुजरात के गणपतभाई वेस्ताभाई वसावा, हिमाचल के तुलसीराम, जम्मू-कश्मीर के मोहम्मद अकबर लोन और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सुखदेव राजभर ने हंगामा रोकने के लिए सुझाव दिए। इनमें शून्यकाल पहले करने, प्रश्नकाल में ज्यादा सवाल लेने जैसे सुझाव भी आए।

इससे पहले दो दिन के सत्र में विधान मंडलों द्वारा पारित विधेयकों पर अनुमति के लिए अधिकतम अवधि का निर्धारण, सुशासन के लिए विधि निर्माण और उसकी संवीक्षा में विधायिका की भूमिका तथा गठबंधन सरकार का युग- इसकी अनिवार्यताएं और चुनौतियां जैसे विषयों पर चर्चा की गई।

संगोष्ठी आज: सम्मेलन के चौथे दिन शुक्रवार को सुबह 9 से 1 बजे तक संगोष्ठी होगी। इसका विषय 'नियंत्रण एवं संतुलन के संवैधानिक सिद्धांत का सुदृढ़ीकरण' है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। इसमें राज्य के सांसदों और विधायकों को भी बुलाया गया है।

अगला सम्मेलन पटना में: विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का अगला सम्मेलन बिहार विधानसभा की ओर से पटना में होगा।

बैठकों की घटती संख्या पर चिंता

पीठासीन अधिकारियों की समिति ने सदनों की बैठकों की घटती संख्या पर चिंता जताई है। प्रतिवेदन में कहा कि इससे लोक महत्व के मुद्दे उठाने के अवसरों में कमी आ रही है। समिति ने सिफारिश की कि छोटे राज्यों की विधायिकाओं की एक साल में न्यूनतम 60 और बड़े राज्यों में 100 बैठकें हों। इसके लिए संविधान में संशोधन भी किया जाए। यह प्रतिवेदन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष दीपेन्द्रसिंह शेखावत ने पेश किया।

राजस्थान में कब-कितनी बैठकें

विधानसभा	बैठकें	सत्र कब से कब तक
पहली	304	29.3.1952 से 21.3.1957
दूसरी	306	24.4.1957 से 22.1961
तीसरी	268	13.3.1962 से 29.9.1966
चौथी	242	3.5.1967 से 16.11.1971
पांचवी	200	20.1972 से 30.3.1977
छठी	115	18.7.1977 से 11.10.1979
सातवीं	168	4.7.1980 से 18.10.1984
आठवीं	180	19.3.1985 से 21.1.1990
नौवीं	95	15.3.1990 से 30.9.1992
दसवीं	141	28.12.1993 से 31.7.1998
ग्यारहवीं	143	4.1.1999 से 25.8.2003
बारहवीं	140	15.1.2004 से 17.7.2008
तेरहवीं	68	1.1.2009 से 23.3.2011

समिति के अन्य महत्वपूर्ण सुझाव

- प्रश्नकाल की गरिमा बनाए रखी जाए, ताकि सरकार को और जवाबदेह बनाया जा सके। सदनों को बार-बार स्थगित कराने और अनावश्यक शोर-शराबा करने की प्रवृत्ति पर रोक लगे।
- राजनीतिक दल अपने सदस्यों को सदन में मौजूद रहने के लिए पाबंद करें ताकि कोरम बना रहे। कोरम के अभाव में अथवा बार-बार बाधाओं के कारण बैठकें स्थगित होने पर सदस्य नैतिक रूप से दैनिक भत्ता न लें।
- संसदीय समिति प्रणाली को और सुदृढ़ किया जाए। जिन विधायिकाओं में विभागों संबंधी स्थायी समितियां नहीं हैं, वहां बनाई जाएं।
- सरकारों द्वारा किए गए अधिक खर्चे की लोक लेखा समितियों से नियमित आधार पर जांच हो। इसमें चूक करने वाले मंत्रालयों, विभागों को फटकार लगाई जाए। अधिक खर्चे को नियमित करने से पूर्व चेतावनी भी दी जाए।
- सदन के अंदर सरकार की ओर से दिए गए आश्वासनों को समय पर पूरा कराने के लिए आश्वासन संबंधी समिति के कार्यकलापों का पुनर्गठन हो।
- विधानमंडलों के सचिवालयों की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए अलग से कानून बने।

दैनिक भास्कर, दिनांक 23.09.2011

RAJASTHAN VIDHAN SABHA SECRETARIAT
RESEARCH & REFERENCE BRANCH

ज्यादा बैठकों के लिए कानून बने

पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन

समिति ने प्रश्नकाल की गरिमा सहित विभिन्न विषयों पर कानून बनाने की सिफारिश की

डेली न्यूज ब्यूरो

जयपुर ▷ 22 सितंबर

पीठासीन अधिकारियों की समिति ने सदन में प्रश्नकाल की गरिमा बनाने, विधायिकाओं की बैठकों की संख्या बढ़ाने के लिए कानून बनाने की सिफारिशें रखी हैं। साथ ही सदस्यों की कम मौजूदगी पर सवाल भी खड़े किए हैं।

विधानसभा अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को विधानमंडलों के सम्मेलन में कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके तहत समिति ने प्रश्नकाल की गरिमा बनाए रखने को कहा है ताकि सदस्यों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहे, साथ ही सरकार को जवाबदेह बनाया जा सके। समिति ने सदनों को बार-बार स्थगित कराने और अनावश्यक शोर-शराबा करने की प्रवृत्ति को रोकने की भी जरूरत महसूस की ताकि संसदीय प्रणाली में जनता का विश्वास बना रह सके और विधायी निकायों में विश्वसनीयता और उनकी अच्छी छवि बन सके।

क्या बैठक स्थगित होने पर भत्ता लेना उचित

समिति ने सदनों में सदस्यों की कम उपस्थिति को गम्भीरता से लेते हुए सिफारिश की है कि राजनीतिक दल अपने सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। साथ ही सदस्य इस बात पर भी विचार करें कि कोरम के अभाव में बार-बार बाधाओं के कारण बैठकें स्थगित होने पर दैनिक भत्ता लेना नैतिक रूप से उचित है?

कम बैठकों पर जताई चिंता

विधायिकाओं की बैठकों की संख्या में आ रही कमी से लोक महत्व के मुद्दे उठाने के अवसर नहीं मिल पाने पर सिफारिश की गई है कि छोटे राज्यों की विधायिकाओं की एक वर्ष के दौरान कम से कम साठ दिनों तथा बड़े राज्यों में कम से कम 100 दिनों तक बैठकें हों तथा इसके लिए संविधान संशोधन किया जाए। समिति ने राज्य विधायिकाओं की ओर से पिछले कुछ दशकों के दौरान किए गए अधिक व्यय को नियमित नहीं करने पर भी चिंता जताई और व्यय की जांच की आवश्यकता बताई। प्रतिवेदन में चूककर्ता मंत्रालयों को अधिक व्यय करने के लिए फटकार लगाने तथा अधिक व्यय को नियमित करने की सिफारिश करने से पूर्व चेतावनी देने की जरूरत भी बताई गई।

स्वायत्तता के लिए कानून बने

विधान मंडल के सचिवालयों की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए प्रत्येक विधान मंडल में कानून बनाने की आवश्यकता जताई गई ताकि इस कानून के तहत स्टाफ की नियुक्ति तथा सेवा शर्तें विनियमित की जा सकें।

पटना में होगा अगला सम्मेलन

देश के विधायी निकायों का अगला सम्मेलन पटना में होगा। जयपुर में आयोजित सम्मेलन गुरुवार को संपन्न हो गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने सहभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि सम्मेलन में उपयोगी व सार्थक विषयों पर चर्चा हुई। इनमें विधान मंडलों की ओर से पारित विधेयकों पर अनुमति के लिए अधिकतम अवधि का निर्धारण, सुशासन के लिए विधि निर्माण और उसकी संवीक्षा में विधायिका की भूमिका, गठबंधन सरकार का युग-इसकी अनिवार्यताएं और चुनौतियां जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। शुक्रवार सवेरे 9 बजे 'नियंत्रण एवं संतुलन के संवैधानिक सिद्धांत का सुदृढ़ीकरण' विषय पर संगोष्ठी होगी। उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। इसमें राज्य के सांसदों एवं विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है। पीठासीन अधिकारियों के लिए शनिवार को पर्यटक भ्रमण होगा जिसमें वे रणथंभौर, अजमेर और पुष्कर जाएंगे।

मीरा कुमार ने देखा योग केंद्र

स्पीकर मीरा कुमार ने गुरुवार को राजस्थान विस परिसर में जिम एवं योग केंद्र को देखा। विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें इस जिम की जानकारी दी। मध्यप्रदेश, जम्मू-कश्मीर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष सहित अन्य पीठासीन अधिकारी भी थे।

राजस्थली स्टाल आकर्षण का केंद्र : विधानसभा परिसर में विशेष रूप से लगाई गई राजस्थान लघु उद्योग निगम की राजस्थली स्टॉल अतिथियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस स्टॉल में जयपुरी रजाइयां, लाख के आइटम, मीनाकारी एवं पीतल की नक्काशी के आइटम, सजावटी सामान, लकड़ी का कलात्मक फर्नीचर तथा हस्तशिल्प के अन्य सामान प्रमुख हैं।

लोक नृत्यों का आनंद लिया : पीठासीन अधिकारियों ने आगरा रोड स्थित विद्याधर का बाग में सांस्कृतिक समारोह का आनंद लिया। समारोह में स्पीकर मीरा कुमार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह शेखावत ने भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का लुत्फ उठाया। इस अवसर पर कलाकारों ने घूमर नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति देकर माहौल में समां बांधा।

डेली न्यूज, दिनांक 23.09.2011

Sanctity of question hour must be maintained: Report

HT Correspondent
htraj@hindustantimes.com

> Tendency to resort to unruly scenes in the house must be curbed.
> RECOMMENDATION

JAIPUR: The speaker of Rajasthan Legislative Assembly Deependra Singh Shekhawat presented the Report of the Committee of Presiding Officers which has mainly recommended that the Sanctity of the Question Hour must be maintained so that the right of the members to seek information is protected and the government of the day must be made accountable

The report also deals with the ensuring accountability of the Executive to the Legislature and as a member of the Committee, Shekhawat presented it during current confrecne of the presiding officers.

The tendency to resort to frequent adjustments and to create unruly scenes must be curtailed so as to preserve the faith of the people in the Parliamentary set up and to maintain the image and creditability of the legislative bodies. The committee has suggested that the political parties need to ensure good attendance of their members and to maintain quorum.

The members also need to ponder whether it is ethical on their part to accept daily allowance for the sittings adjourned due to frequent disruptions or want of quorum.

Keeping in mind the gradual decline in the sittings of legislature and the squeezing opportunities of members to raise matters of public importance in the legislature, the committee recommended that there is a need amend the constitution to provide for a minimum number of sittings of 60 days for the Legislatures of smaller states and 100 days for both larger states and the Parliament in a year.

Concerned over the inordinate delay in fulfilment of the assurances, the committee has stressed that there is an urgent need to revamp the functioning of the Committee on Government Assurances so that the implementation of assurances given on the floor of the House is implemented expeditiously.

The committee has also recommended that in order to maintain the autonomy of the Legislature Secretariats as enshrined in the Articles 98 and 187 of the Indian constitution, each legislature needs to enact a law for regulating the recruitment and conditions of service for appointment of its secretarial staff in order to build a dedicated, well qualified, objective and proficient category of officers and to check possible arbitrary exercise of power or outside intervention.

Hindustan Times, Dated 23.09.2011

प्रश्नकाल की गिरती गरिमा चिंताजनक

कम उपस्थिति लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं, पीठासीन अधिकारियों ने की चर्चा

कार्यालय संवाददाता

जयपुर, 22 सितम्बर। देश की सभी विधानसभाओं और लोकसभा तथा राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों ने प्रश्नकाल की गिरती गरिमा पर चिंता व्यक्त की है। उनका यह भी मानना है कि सदन में सदस्यों की कम उपस्थिति भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

विधानसभा अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पीठासीन अधिकारियों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। रायपुर छत्तीसगढ़ में 23 जुलाई 2005 को आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने यह समिति गठित की थी। इस समय उपाध्यक्ष, लोकसभा कड़िया मुंडा के सभापतित्व में गठित समिति के सदस्य के रूप में शेखावत ने यह प्रतिवेदन पीठासीन अधिकारियों के 76वें सम्मेलन में प्रस्तुत किया। इस समिति में गोवा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सदस्य हैं। समिति ने प्रश्नकाल की गरिमा बनाए रखने की सिफारिश की है, ताकि सदस्यों की जानकारी प्राप्त करने संबंधी अधिकार सुरक्षित रहने के साथ ही सरकार को जवाबदेह बनाया जा सके। समिति ने सदनों को बार-बार स्थगित कराने और अनावश्यक शोर-शराबा करने की प्रवृति को रोकने की आवश्यकता महसूस की ताकि संसदीय प्रणाली में जनता का विश्वास बना रह सके और विधायी निकायों में विश्वसनीयता और उनकी अच्छी छवि बन सके। समिति ने सदनों में सदस्यों की कम उपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए सिफारिश की है कि राजनीतिक दल अपने सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करें ताकि गणपूर्ति बनी रहे। साथ ही सदस्य इस बात पर भी विचार करें कि गणपूर्ति के अभाव में बार-बार बाधाओं के कारण बैठकें स्थगित होने पर दैनिक भत्ता लेना नैतिक रूप से उचित है? प्रतिवेदन में विधायिकाओं की बैठकों की संख्या में धीरे-धीरे आ रही कमी और लोक महत्व के मुद्दे उठाने के अवसरों में आ रही कमी पर सिफारिश की है कि छोटे राज्यों की विधायिकाओं की एक वर्ष के दौरान कम से कम साठ दिनों तथा बड़े राज्यों में कम से कम सौ दिनों तक बैठकें हों तथा इसके लिए संविधान संशोधन किया जाए।

समिति ने अपनी सिफारिश में संसदीय समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका एवं कार्यों को देखते हुए समिति प्रणाली को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके साथ ही राज्य की विधायिकाओं को भी विभागों सम्बन्धी स्थाई समितियां स्थापित करने को कहा है, जहां ये अब तक स्थापित नहीं की गई हैं। समिति ने संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण में राज्य विधायिकाओं द्वारा पिछले कुछ दशकों के दौरान राज्यों द्वारा किए गए अधिक व्यय को नियमित नहीं करने पर चिंता जताते हुए राज्य विधानसभाओं की लोक लेखा समितियों द्वारा नियमित आधार पर अधिक व्यय की जांच की आवश्यकता जताई है। प्रतिवेदन में चूककर्ता मंत्रालयों को अधिक व्यय करने के लिए फटकार लगाने तथा अधिक व्यय को नियमित करने की सिफारिश करने से पूर्व चेतावनी देने की जरूरत भी बताई। समिति ने अपने प्रतिवेदन में आश्वासन पूरा करने में अत्यधिक देरी को देखते हुए सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के कार्यकरण का पुनर्गठन करने की अत्यधिक आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि सदन के अन्दर दिए गए आश्वासन शीघ्रता से पूरे किए जा सकें।

अगला सम्मेलन पटना में

भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का 76वां सम्मेलन गुरुवार समाप्त हो गया। सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने बुधवार 21 सितम्बर को किया था। समापन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ने सहभागियों को संबोधित करते हुए सम्मेलन की सफलता पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में उपयोगी और सार्थक विषयों पर चर्चाएं हुई है इनमें विधानमण्डलों द्वारा पारित विधेयकों पर अनुमति के लिए अधिकतम अवधि का निर्धारण, सुशासन के लिए विधि निर्माण और उसकी संवीक्षा में विधायिका की भूमिका, तथा गठबंधन सरकार का युग- इसकी अनिवार्यताऐं और चुनौतियाँ जैसे गंभीर विषयों पर विचार विमर्श किया गया। समापन सत्र में सर्वसम्मति से यह भी घोषणा की गई कि अगले वर्ष पीठासीन अधिकारियों का 77वाँ सम्मेलन बिहार विधानसभा द्वारा पटना में आयोजित किया जाएगा।

संगोष्ठी आज

सम्मेलन के अन्तर्गत शुक्रवार को प्रातः नौ बजे नियंत्रण एवं संतुलन के संवैधानिक सिद्धांत का सुदृढ़ीकरण विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। इस संगोष्ठी में राज्य के सांसदों एवं विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है। पीठासीन अधिकारियों के लिए 24 सितम्बर को पर्यटक भ्रमण की व्यवस्था की गयी है जिसके तहत वे रणथम्भौर, अजमेर एवं पुष्कर के भ्रमण पर जाएंगे।

प्रश्नकाल में व्यवधान पर चर्चा

राज्यसभा के उप सभापति के. रहमान खान के सभापतित्व में गुरुवार को प्रश्नकाल में व्यवधान की समस्या पर विचार करने के लिए पीठासीन अधिकारियों की समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्रश्नकाल को बाधित करने की बढ़ती प्रवृत्ति और उसे रोकने की आवश्यकता पर गंभीरता से विचार किया गया।

दैनिक नवज्योति, दिनांक 23.09.2011

RAJASTHAN VIDHAN SABHA SECRETARIAT
RESEARCH & REFERENCE BRANCH

बैठकों की निश्चित संख्या के लिए संविधान संशोधन की सिफारिश

राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी तय करने पर जोर

पीठासीन अधिकारियों का प्रतिवेदन पेश

जयपुर, (कासं:): पीठासीन अधिकारियों की समिति ने अपने प्रतिवेदन में सदस्यों की जानकारी प्राप्त करने सम्बन्धी अधिकार सुरक्षित रखे जाने और सरकार को जवाबदेह बनाने के साथ ही प्रश्नकाल की गरिमा बनाए रखने की सिफारिश की है। समिति ने सदन को बार-बार स्थगित करने और अनावश्यक शोर-शराबा करने की प्रवृति को रोकने की आवश्यकता बताते हुए कहा है कि ऐसा होने से संसदीय प्रणाली में जनता का विश्वास बना रहेगा।

विधानसभा अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह ने गुरुवार को कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पीठासीन अधिकारियों से संबंधित समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में विधायिकाओं की बैठकों की संख्या में धीरे-धीरे आ रही कमी और लोक महत्व के मुद्दे उठाने के अवसरों में आ रही कमी के मामले में सिफारिश की है कि छोटे राज्यों की विधायिकाओं की एक वर्ष के दौरान कम से कम साठ दिन तथा बड़े राज्यों में कम से कम सौ दिन बैठकें हों तथा इसके लिए संविधान संशोधन किया जाए।

गौरतलब है कि रायपुर, छत्तीसगढ़ में 23 जुलाई 2005 को हुए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में लिए निर्णय के पश्चात लोकसभाध्यक्ष ने यह समिति गठित की थी। वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा के सभापतित्व में गठित समिति के सदस्य के रूप में शेखावत ने यह प्रतिवेदन पीठासीन अधिकारियों के इस 76वें सम्मेलन में प्रस्तुत किया। इस समिति में गोवा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सदस्य हैं।

समिति ने सदनों में सदस्यों की कम उपस्थिति को गम्भीरता से लेते हुए सिफारिश की है कि राजनीतिक दल अपने सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करें ताकि कोरम बना रहे। साथ ही सदस्य इस बात पर भी विचार करें कि कोरम के अभाव में बार-बार बाधाओं के कारण बैठकें स्थगित होने पर दैनिक भत्ता लेना नैतिक रूप से कहां तक उचित है।

अगले वर्ष पटना में मिलेंगे

पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का समापन

जयपुर, (कासं): भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का 76वां सम्मेलन अगले वर्ष पटना में मिलने की घोषणा के साथ गुरुवार को सम्पन्न हो गया। सम्मेलन का उद्‌घाटन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने बुधवार को किया था। समापन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ने सहभागियों को संबोधित करते हुए सम्मेलन की सफलता पर संतोष जताया और कहा कि सम्मेलन में उपयोगी और सार्थक विषयों पर चर्चाएं हुई हैं। इनमें विधानमण्डलों द्वारा पारित विधेयकों पर अनुमति के लिए अधिकतम अवधि का निर्धारण, सुशासन के लिए विधि निर्माण और उसकी संवीक्षा में विधायिका की भूमिका तथा गठबंधन सरकार का युग- इसकी अनिवार्यताएं और चुनौतियां जैसे गंभीर विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

समापन सत्र में सर्वसम्मति से यह भी घोषणा की गई कि अगले वर्ष पीठासीन अधिकारियों का 77वां सम्मेलन बिहार विधानसभा की ओर से पटना में आयोजित किया जाएगा। शुक्रवार को सवेरे नौ बजे विधानसभा परिसर में नियंत्रण एवं संतुलन के संवैधानिक सिद्धांत का सुदृढ़ीकरण विषय पर संगोष्ठी होगी, जिसका उद्‌घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। संगोष्ठी में राज्य के सांसदों एवं विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है।

भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का 76वां सम्मेलन अगले वर्ष पटना में मिलने की घोषणा के साथ गुरुवार को सम्पन्न हो गया। शाम को घाट की गूणी स्थित विद्याधर का बाग में सांस्कृतिक कार्यक्रम में मौजूद लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह और महापौर ज्योति खण्डेलवाल। (समाचार पेज-4 पर)

पंजाब केसरी,
दिनांक 23.09.2011

राजस्थान पत्रिका
जयपुर . शुक्रवार
23.09.2011
पिंकसिटी

पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन

सदन में घुसते ही हंगामा तो प्रश्नकाल बाद में!

▪ शून्यकाल से हो सकती है बैठक की शुरुआत

जयपुर

politics.jaipur@patrika.com

विधानसभा में दाखिल होते ही प्रश्नकाल में हंगामे की विधायकों की बढ़ती आदत को देखते हुए इसका इलाज ढूंढा जा रहा है। यदि कुछ समय में यह प्रवृत्ति नहीं बदली तो बैठक की शुरुआत शून्यकाल से हो सकती है और इसके बाद प्रश्नकाल रखा जा सकता है। फिलहाल व्यवस्था और परिपाटी है कि सदन की बैठक शुरू होते ही पहले प्रश्नकाल होता है और इसके बाद शून्यकाल। शून्यकाल के बाद विधायी कार्य निपटाया जाता है।

जयपुर में चल रहे पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान गुरुवार को राज्यसभा के उपसभापति के.रहमान खान समिति ने प्रश्नकाल बाधित करने की बढ़ती प्रवृत्ति और उसे रोकने की आवश्यकता पर विचार किया।

प्रश्नकाल बाधित करने की बढ़ी प्रवृत्ति

बैठक के बाद रहमान ने 'राजस्थान पत्रिका' से बातचीत में कहा कि ज्यादातर विधानसभाओं से यह फीडबैक मिला है कि प्रश्नकाल की गम्भीरता कम होती जा रही है। जब राजनीतिक दलों का कोई मुद्दा होता है या कोई ताजा घटना होती है तो सदस्य सदन में प्रवेश करते ही हंगामे पर उतारू हो जाते हैं। इससे प्रश्नकाल नहीं हो पाता और होता भी है तो गम्भीरता नहीं रहती।

हमारा प्रयास है कि प्रश्नकाल की गरिमा व गम्भीरता बनी रहे। कई विधानसभा अध्यक्षों से इस बारे में सलाह मशविरा किया गया है, उनकी राय यह भी आई है कि यदि शून्यकाल पहले रखा भी जाता है तो प्रश्नकाल का समय बहुत बाद का नहीं हो। यदि नियम बदले गए तो इन बातों का ख्याल रखा जाएगा।

एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि लोकसभा व राज्यसभा में प्रश्नकाल में 20 प्रश्न निर्धारित होते हैं, लेकिन औसतन 7-8 पर ही चर्चा हो पाती है। कमोबेश यही स्थिति विधानसभाओं की भी है। समिति की गुरुवार को दूसरी बैठक हुई, अगली बैठक श्रीनगर में रखी गई है। रहमान ने एक अन्य प्रश्न के जवाब में बताया कि सम्भवतः तीन महीने में समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सुपुर्द कर देगी। (का.सं.)

सम्मेलन खत्म, आज संगोष्ठी

ीठासीन अधिकारियों का 76 वां सम्मेलन गुरुवार को पूरा हो गया। शुक्रवार को विधानसभा में ही संगोष्ठी रखी गई है जिसमें पीठासीन अधिकारी और सचिवों के साथ राज्य के सांसद व विधायक भी शरीक होंगे।

लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में तीन विषयों पर अलग-अलग सत्र रखे गए। पीठासीन अधिकारियों ने विधानमण्डलों में पारित विधेयकों पर अनुमति के लिए अधिकतम अवधि का निर्धारण, सुशासन के लिए कानून का निर्माण और विधायिका की भूमिका और गठबंधन सरकार का युग- इसकी अनिवार्यताएं और चुनौतियां जैसे गम्भीर विषयों पर विचार किया। लोकसभा अध्यक्ष इन सत्रों के बारे में शुक्रवार को खुलासा करेंगी। पीठासीन अधिकारी शनिवार को दो दलों में रणथम्भौर, अजमेर एवं पुष्कर भ्रमण पर जाएंगे।

राजस्थान पत्रिका, दिनांक 23.09.2011

60 से 100 दिन चलें विधानसभा

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष शेखावत ने पेश की मुण्डा समिति की रिपोर्ट

जयपुर. लोकसभा उपाध्यक्ष करिया मुण्डा समिति ने छोटी विधानसभाओं की साल में कम से कम 60 बैठक और बड़ी की सौ बैठकों की सिफारिश की है। समिति का मानना है कि इसके लिए संविधान संशोधन करना चाहिए।

मुण्डा समिति के सदस्य राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में मुण्डा समिति की रिपोर्ट पेश की। लोकसभा अध्यक्ष ने समिति का गठन किया था। रिपोर्ट पर क्या कदम उठाएंगे, इसकी समीक्षा अगले सम्मेलन में होगी।

रिपोर्ट में यह कहा

प्रश्नकाल की गरिमा को बनाए रखा जाए। इससे सदस्यों का जानकारी प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

सदन को बार-बार स्थगित कराने और अनावश्यक शोर-शराबे को रोका जाए।

सदन में सदस्यों की कम उपस्थिति को गम्भीर माना जाए और राजनीतिक दल सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करें।

-संसदीय समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका एवं कार्यों को देखते हुए समिति प्रणाली को और मजबूत बनाया जाए।

विधायिका को भी विभागों सम्बन्धी स्थायी समितियां स्थापित करने को कहा जाए।

विधायक विचार करें कि कोरम के अभाव में बार-बार बाधा के कारण बैठकें स्थगित होने पर दैनिक भत्ता क्या उचित है?

विधानसभाओं की लोक लेखा समितियों को चाहिए कि वे नियमित आधार पर अधिक व्यय की जांच करें।

चूककर्ता मंत्रालयों को अधिक व्यय के लिए फटकार लगाई जाए और पूर्व चेतावनी दी जाए।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के कार्यकरण का पुनर्गठन हो ताकि सदन के भीतर दिए आश्वासन शीघ्र पूरे हों।

विधानमण्डल के सचिवालयों की स्वायत्तता के लिए प्रत्येक विधानमंडल में कानून बनाने की आवश्यकता।

इस कानून के तहत विधानसभा सचिवालय के स्टाफ की नियुक्ति तथा सेवा शर्तें विनियमित की जा सकें ताकि समर्पित, अत्यधिक योग्य, निष्पक्ष तथा कुशल अधिकारियों का संवर्ग तैयार किया जा सके।

विधानमंडल तथा उनकी समितियों की ओर से कामकाज से सम्बन्धित सूचना को एकत्र करने के लिए तथा इसके मिलान के लिए एक संस्थागत व्यवस्था कायम की जानी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक विधानमण्डल सचिवालय में एक समन्वय प्रकोष्ठ की स्थापना की जानी चाहिए।

(मेट्रो संवाददाता)

राजस्थान पत्रिका, दिनांक 23.09.2011

'संसदीय प्रणाली में जनता का विश्वास बना रहे इसके लिये जरूरी है शोर-शराबे की प्रवृति पर रोक लगे'

कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया शेखावत ने

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह ने गुरुवार को कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पीठासीन अधिकारियों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

रायपुर छत्तीसगढ़ में 23 जुलाई 2005 को आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय के पश्चात अध्यक्ष, लोकसभा ने यह समिति गठित की थी। वर्तमान में उपाध्यक्ष, लोकसभा कड़िया मुंडा के सभापतित्व में गठित समिति के सदस्य के रूप में शेखावत ने यह प्रतिवेदन पीठासीन अधिकारियों के 76 वें सम्मेलन में प्रस्तुत किया। इस समिति में गोवा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सदस्य हैं।

समिति ने प्रश्नकाल की गरिमा बनाए रखने की सिफारिश की है ताकि सदस्यों की जानकारी प्राप्त करने सम्बन्धी अधिकार सुरक्षित रहने के साथ ही सरकार को जवाबदेह बनाया जा सके। समिति ने सदनों को बार-बार स्थगित कराने और अनावश्यक शोर-शराबा करने की प्रवृति को रोकने की आवश्यकता महसूस की ताकि संसदीय प्रणाली में जनता का विश्वास बना रह सके और विधायी निकायों में विश्वसनीयता और उनकी अच्छी छवि बन सके।

समिति ने सदनों में सदस्यों की कम उपस्थिति को गम्भीरता से लेते हुए सिफारिश की है कि राजनीतिक दल अपने सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करें ताकि गणपूर्ति बनी रहे। साथ ही सदस्य इस बात पर भी विचार करें कि गणपूर्ति के अभाव में बार-बार बाधाओं के कारण बैठकें स्थगित होने पर दैनिक भत्ता लेना नैतिक रूप से उचित है?

प्रतिवेदन में विधायिकाओं की बैठकों की संख्या में धीरे-धीरे आ रही कमी और लोक महत्व के मुद्दे उठाने के अवसरों में आ रही कमी पर सिफारिश की है कि छोटे राज्यों की विधायिकाओं की एक वर्ष के दौरान कम से कम साठ दिनों तथा बड़े राज्यों में कम से कम सौ दिनों तक बैठकें हों तथा इसके लिए संविधान संशोधन किया जाए। समिति ने अपनी सिफारिश में संसदीय समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका एवं कार्यों को देखते हुए समिति प्रणाली को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही राज्य की विधायिकाओं को भी विभागों सम्बन्धी स्थाई समितियां स्थापित करने को कहा है, जहां से अब तक स्थापित नहीं की गई है। समिति ने संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण में राज्य विधायिकाओं द्वारा पिछले कुछ दशकों के दौरान राज्यों द्वारा किए गए अधिक व्यय को नियमित नहीं करने पर चिंता जताते हुए राज्य विधानसभाओं की लोक लेखा समितियों द्वारा नियमित आधार पर अधिक व्यय की जांच की आवश्यकता जताई है। प्रतिवेदन में चूककर्ता मंत्रालयों को अधिक व्यय करने के लिए फटकार लगाने तथा अधिक व्यय को नियमित करने की सिफारिश करने से पूर्व चेतावनी देने की जरूरत भी बताई। समिति ने अपने प्रतिवेदन में आश्वासन पूरा करने में अत्यधिक देरी को देखते हुए सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के कार्यकरण का पुनर्गठन करने की अत्यधिक आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि सदन के अन्दर दिए गए आश्वासन शीघ्रता से पूरे किए जा सकें। प्रतिवेदन में संविधान के अनुच्छेद 98 और 187 के अनुसार विधान मण्डल के सचिवालयों की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए प्रत्येक विधान मंडल में कानून बनाने की आवश्यकता बताई। इस कानून के तहत उसके सचिवालय के स्टाफ की नियुक्ति तथा सेवा शर्तें विनियमित की जा सकें ताकि समर्पित, अत्यधिक योग्य, निष्पक्ष तथा कुशल अधिकारियों का संवर्ग तैयार किया जा सके और शक्ति के संभावित इकतरफा प्रयोग पर अंकुश लग सके और बाहरी हस्तक्षेप भी न हो। समिति ने विधान मंडल तथा उनकी समितियों द्वारा किए गए काम से सम्बन्धित सूचना को एकत्र करने तथा इसके मिलान के लिए एक संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विधान मण्डल सचिवालय में एक समन्वय प्रकोष्ठ स्थापित करने की आवश्यकता बताई है। इस व्यवस्था से नियमित रूप से लोक सभा सचिवालय के समन्वय प्रकोष्ठ के साथ सूचना का आदान-प्रदान हो सकेगा। प्रतिवेदन में बताया गया है कि पीठासीन अधिकारियों की अगली बैठक में इस प्रतिवेदन की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए की गई कार्यवाही की समीक्षा की जाए।

- विधायिकाओं में वर्ष में 60 से सौ बैठकें हों, इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाय
- प्रश्नकाल की गरिमा बनाए रखने की सिफारिश
- सदनों में सदस्यों की कम उपस्थिति चिंताजनक, राजनैतिक दल सुनिश्चित करें अपने सदस्यों की संख्या
- बार-बार बाधा और बैठक स्थगित होने पर भी क्या सदस्यों द्वारा भत्ता लेना उचित है?

विधान मंडलों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को गुरुवार को भी संबोधित किया लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने। इस अवसर पर दीपेन्द्र सिंह शेखावत ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। फोटो-राष्ट्रदूत

पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में 'प्रश्नकाल में व्यवधान' पर चर्चा

जयपुर। राज्य सभा के उप सभापति के.रहमान खान के सभापतित्व में आज प्रश्नकाल में व्यवधान की समस्या पर विचार करने के लिए पीठासीन अधिकारियों की समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में प्रश्नकाल को बाधित करने की बढ़ती प्रवृति और उसे रोकने की आवश्यकता पर गम्भीरता से विचार किया गया। समिति की बैठक में सदस्य एवं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अरुणाचल विधानसभा के अध्यक्ष वांगलिन लोवांगडांग, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष गणपत भाई वेसावाभाई वसावा, हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष तुलसीराम, जम्मू एवं कश्मीर के विधानसभा के अध्यक्ष मो. अकबर लोन, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सुखदेव राजभर ने विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने सुझाव दिए। लोकसभा के महासचिव टी.के. विश्वानाथन समिति के सदस्य सचिव हैं।

राष्ट्रदूत, दिनांक 23.09.2011

लोकसभा अध्यक्ष ने राजस्थान विधानसभा में जिम का अवलोकन किया

जयपुर। लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने आज यहां राजस्थान विधानसभा परिसर में स्थापित जिम एवं योग केन्द्र का अवलोकन किया।

विधानसभा अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह शेखावत ने लोकसभा अध्यक्ष को जिम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुये बताया कि विधानसभा में हाल ही प्रारंभ किये गये इस जिम में व्यायाम के लिए अत्याधुनिक उपकरण लगाये गये हैं। इसमें 3 ट्रेडमिल, 2 कांस ट्रेनर तथा चार साईकिलें और अन्य सभी जरूरी उपकरण उपलब्ध हैं।

शेखावत ने बताया कि इस केन्द्र में विधायकगण तथा विधानसभाकर्मी प्रतिदिन आकर व्यायाम कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष के साथ मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ईश्वर दास रोहणी, जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर लोन, बिहार विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, अरूणाचल प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष तपांग तालोह, छत्तीसगढ विधानसभा के अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक सहित अन्य पीठासीन अधिकारियों ने भी जिम को देखा और इसकी सराहना की।

राजस्थली के स्टाल आकर्षण का केन्द्र:- पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के अवसर पर विधानसभा परिसर में विशेष रूप से लगाया गया राजस्थान लघु उद्योग निगम का 'राजस्थली' स्टॉल सभी अतिथियों के लिये आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। राजस्थली के इस स्टॉल में जयपुरी रजाईयां, लाख के आईटम, मीनाकारी एवं पीतल की नक्काशी के आकर्षक आईटम, सजावटी सामान, लकडी का कलात्मक फर्नीचर तथा हस्तशिल्प के अन्य सामान प्रमुख है।

राष्ट्रदूत, दिनांक 23.0.9.2011

• शुक्रवार. 23 सितंबर, 2011 11

लोकसभा अध्यक्ष ने किया जिम का अवलोकन

जयपुर| लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने गुरुवार को यहां राज्य विधानसभा परिसर में स्थापित जिम एवं योग केंद्र का अवलोकन किया। विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत ने जिम के बारे में जानकारी दी।

शेखावत ने बताया कि हाल में शुरू किए गए इस जिम में व्यायाम के लिए अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। इनमें 3 ट्रेड मिल, 2 कांस ट्रेनर तथा चार साइकिलें और अन्य सभी जरूरी उपकरण उपलब्ध हैं। इसमें विधायक और विधानसभा के कर्मचारी आकर प्रतिदिन व्यायाम करते हैं। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ईश्वर दास रोहणी, जम्मू-कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर लोन, बिहार विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, अरुणाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष तपांग तालोह, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक सहित अन्य पीठासीन अधिकारियों ने जिम की सराहना की।

दैनिक भास्कर, दिनांक 23.09.2011

DELHI
THE HINDU • FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2011

Retain sanctity of Question Hour: Presiding officers

Seek amendment to Constitution to ensure minimum sittings

Special Correspondent

- Speakers concerned over low attendance in legislatures
- Strengthening of House panel system recommended

JAIPUR: The presiding officers' conference has sought an amendment to the Constitution to make it mandatory for Parliament and the legislatures of the States to meet for a minimum of 60 to 100 days a year. In the case of smaller States it has recommended a minimum of 60 days while for Parliament and legislatures of bigger States the suggested minimum sitting is of 100 days.

The recommendation formed part of the report of the Committee of Presiding Officers on Ensuring Accountability of the Executive to the Legislature, presented by Rajasthan Assembly Speaker Deependra Singh Shekhawat on the second day of the meeting of the presiding officers of the legislative bodies here on Thursday. Mr. Shekhawat presented the report on behalf of Lok Sabha Deputy Speaker Kariya Munda who is the chairman of the Committee.

The provocation for the suggestion was obviously the gradual decline in the sittings of legislatures and the squeezing opportunities of members to raise matters of public importance. The committee also took serious note of the low attendance of the members in the Houses and suggested that the political parties need to ensure good attendance of their members and to maintain quorum. "The members also need to ponder whether it is ethical on their part to accept daily allowance for the sittings adjourned due to frequent disruptions or want of quorum," it noted.

The Committee was set up by the Lok Sabha in the 69th conference of the presiding officers held at Raipur in Chhattisgarh in 2005. The Speakers of Goa, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa and Uttar Pradesh are its members.

The Committee was equally emphatic on maintaining the sanctity of Question Hour so that the right of the members to seek information is protected and the Government made accountable. The tendency to resort to frequent adjournments and to create unruly scenes must be curtailed so as to preserve people's faith in the Parliamentary set up, it said.

Acknowledging the significant role of Parliamentary Committees, it recommended further strengthening of the committee system. The State legislatures also should set up the department- related Standing Committees, it said.

The Committee took note of the huge excess expenditure incurred by many States over past few decades which has not been regularized by the State Legislatures in terms of Article 205.

It suggested that the Pubic Account Committees of the State Assemblies needed to examine the excess expenditure on a regular basis.

The defaulter Ministries should be reprimanded, it asserted.

The Hindu, Dated 23.09.2011

RAJASTHAN VIDHAN SABHA SECRETARIAT
RESEARCH & REFERENCE BRANCH

कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही

शेखावत ने पीठासीन अधिकारियों की समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया

जयपुर, 22 सितम्बर (कासं)। विधानसभा अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह ने गुरुवार को कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पीठासीन अधिकारियों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

रायपुर छत्तीसगढ़ में 23 जुलाई 2005 को आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय के पश्चात अध्यक्ष, लोकसभा ने यह समिति गठित की थी। वर्तमान में उपाध्यक्ष, लोकसभा कड़िया मुंडा के सभापतित्व में गठित समिति के सदस्य के रूप में शेखावत ने यह प्रतिवेदन पीठासीन अधिकारियों के 76वें सम्मेलन में प्रस्तुत किया। इस समिति में गोवा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सदस्य हैं।

समिति ने प्रश्नकाल की गरिमा बनाए रखने की सिफारिश की है ताकि सदस्यों की जानकारी प्राप्त करने सम्बन्धी अधिकार सुरक्षित रहने के साथ ही सरकार को जवाबदेह बनाया जा सके। समिति ने सदनों को बार-बार स्थगित कराने और अनावश्यक शोर-शराबा करने की प्रवृति को रोकने की आवश्यकता महसूस की ताकि संसदीय प्रणाली में जनता का विश्वास बना रह सके और विधायी निकायों में विश्वसनीयता और उनकी अच्छी छवि बन सके। समिति ने सदनों में सदस्यों की कम उपस्थिति को गम्भीरता से लेते हुए सिफारिश की है कि राजनीतिक दल अपने सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करें ताकि गणपूर्ति बनी रहे। साथ ही सदस्य इस बात पर भी विचार करें कि गणपूर्ति के अभाव में बार-बार बाधाओं के कारण बैठकें स्थगित होने पर दैनिक भत्ता लेना नैतिक रूप से उचित है। प्रतिवेदन में विधायिकाओं की बैठकों की संख्या में धीरे-धीरे आ रही कमी और लोक महत्व के मुद्दे उठाने के अवसरों में आ रही कमी पर सिफारिश की है कि छोटे राज्यों की विधायिकाओं की एक वर्ष के दौरान कम से कम साठ दिनों तथा बड़े राज्यों में कम से कम सौ दिनों तक बैठकें हों तथा इसके लिए संविधान संशोधन किया जाए। समिति ने अपनी सिफारिश में संसदीय समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका एवं कार्यों को देखते हुए समिति प्रणाली को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही राज्य को विधायिकाओं की भी विभागों सम्बन्धी स्थाई समितियां स्थापित करने को कहा है, जहां ये अब तक स्थापित नहीं की गई हैं। समिति ने संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण में राज्य विधायिकाओं द्वारा पिछले कुछ दशकों के दौरान राज्यों द्वारा किए गए अधिक व्यय को नियमित नहीं करने पर चिंता जताते हुए राज्य विधानसभाओं की लोक लेखा समितियों द्वारा नियमित आधार पर अधिक व्यय की जांच की आवश्यकता जताई है। प्रतिवेदन में चूककर्ता मंत्रालयों को अधिक व्यय करने के लिए फटकार लगाने तथा अधिक व्यय को नियमित करने की सिफारिश करने से पूर्व चेतावनी देने की जरूरत भी बताई। समिति ने अपने प्रतिवेदन में आश्वासन पूरा करने में अत्यधिक देरी को देखते हुए सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के कार्यकरण का पुनर्गठन करने की अत्यधिक आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि सदन के अन्दर दिए गए आश्वासन शीघ्रता से पूरे किए जा सकें।

प्रतिवेदन में संविधान के अनुच्छेद 98 और 187 के अनुसार विधान मण्डल के सचिवालयों की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए प्रत्येक विधान मंडल में कानून बनाने की आवश्यकता बताई। इस कानून के तहत उसके सचिवालय के स्टाफ की नियुक्ति तथा सेवा शर्तें विनियमित की जा सके ताकि समर्पित, अत्यधिक योग्य, निष्पक्ष तथा कुशल अधिकारियों का संवर्ग तैयार किया जा सके और शक्ति के संभावित इकतरफा प्रयोग पर अंकुश लग सके और बाहरी हस्तक्षेप भी न हो। समिति ने विधान मंडल तथा उनकी समितियों द्वारा किए गए काम से सम्बन्धित सूचना को एकत्र करने तथा इसके मिलान के लिए एक संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विधान मण्डल सचिवालय में एक समन्वय प्रकोष्ठ स्थापित करने की आवश्यकता बताई है। इस व्यवस्था से नियमित रूप से लोक सभा सचिवालय के समन्वय प्रकोष्ठ के साथ सूचना का आदान-प्रदान हो सकेगा। प्रतिवेदन में बताया गया है कि पीठासीन अधिकारियों की अगली बैठक में इस प्रतिवेदन की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए की गई कार्यवाही की समीक्षा की जाए।

महका भारत, दिनांक 23.09.2011

'प्रश्नकाल में व्यवधान' पर हुई चर्चा

जयपुर, 22 सितम्बर (कासं)। राज्य सभा के उप सभापति के. रहमान खान के सभापतित्व में गुरुवार को प्रश्नकाल में व्यवधान की समस्या पर विचार करने के लिए पीठासीन अधिकारियों की समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में प्रश्नकाल को बाधित करने की बढ़ती प्रवृति और उसे रोकने की आवश्यकता पर गम्भीरता से विचार किया गया। समिति की बैठक में सदस्य एवं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अरूणाचल विधानसभा के अध्यक्ष वांगलिन लोवांगडांग, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष धर्मपाल कौशिक, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष गणपत भाई वेस्ताभाई वसावा, हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष तुलसीराम, जम्मू एवं कश्मीर के विधानसभा के अध्यक्ष मो. अकबर लोन, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सुखदेव राजभर ने विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने सुझाव दिए। लोकसभा के महासचिव टी.के. विश्वानाथन समिति के सदस्य सचिव हैं।

लोकसभा अध्यक्ष एवं पीठासीन अधिकारियों ने आमेर में ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम देखाः लोकसभा अध्यक्षमीरा कुमार और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भाग लेने आए विधानसभा अध्यक्ष, सचिवों एवं सम्बद्ध प्रतिनिधियों ने बुधवार रात को जयपुर के निकट ऐतिहासिक आमेर महल की पृष्ठभूमि में संयोजित ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम को देखा और कार्यक्रम की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह शेखावत ने इन्हें कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

बाद में आमेर के दिल ए आराम बाग में राजस्थान के पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग के सौजन्य से मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया जिसमें जयपुर घराने के कथक गुरू गिरधारी महाराज की शिष्याओं ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए और मशहूर सुफी गायिका जिले खां की गायकी और राजस्थानी परम्पराओं पर आधारित प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर राज्यपाल शिवराज पाटील, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह शेखावत, राज्यमंत्री परिषद के सदस्यगण, सांसद, विधायक एवं वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौजूद थे। इससे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ने गुलाबी नगर के पर्यटन स्थलों को निहारा।

अगला सम्मेलन पटना में होगा

संगोष्ठी आज-मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन

जयपुर, 22 सितम्बर (कासं)। भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का 76वां सम्मेलन गुरुवार को सम्पन्न हो गया। सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने बुधवार 21 सितम्बर को किया था। समापन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ने सहभागियों को संबोधित करते हुए सम्मेलन की सफलता पर संतोष जताया।

उन्होंने कहा कि सम्मेलन में उपयोगी और सार्थक विषयों पर चर्चाएं हुई हैं इनमें विधानमण्डलों द्वारा पारित विधेयकों पर अनुमति के लिए अधिकतम अवधि का निर्धारण, सुशासन के लिए विधि निर्माण और उसकी संवीक्षा में विधायिका की भूमिका, तथा गठबंधन सरकार का युग- इसकी अनिवार्यताएं और चुनौतियां जैसे गंभीर विषयों पर विचार विमर्श किया गया।

समापन सत्र में सर्वसम्मति से यह भी घोषणा की गई कि अगले वर्ष पीठासीन अधिकारियों का 77वां सम्मेलन बिहार विधानसभा द्वारा पटना में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन के अन्तर्गत आज 23 सितम्बर को प्रातः नौ बजे ''नियंत्रण एवं संतुलन के संवैधानिक सिद्धांत का सुदृढीकरण'' विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे।

इस संगोष्ठी में राज्य के सांसदों एवं विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है। पीठासीन अधिकारियों के लिए 24 सितम्बर को पर्यटक भ्रमण की व्यवस्था की गयी है जिसके तहत वे रणथम्भौर, अजमेर एवं पुष्कर के भ्रमण पर जाएंगे।

महका भारत, दिनांक 23.09.2011

RAJASTHAN VIDHAN SABHA SECRETARIAT
RESEARCH & REFERENCE BRANCH

लोकसभा अध्यक्ष ने राजस्थान विधानसभा में जिम का अवलोकन किया

जयपुर, 22 सितम्बर (कासं)। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने गुरुवार को राजस्थान विधानसभा परिसर में स्थापित जिम एवं योग केन्द्र का अवलोकन किया। विधानसभा अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह शेखावत ने लोकसभा अध्यक्ष को जिम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा में हाल ही प्रारंभ किए गए इस जिम में व्यायाम के लिए अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। इसमें 3 ट्रेडमिल, 2 क्रॉस ट्रेनर तथा चार साईकिलें और अन्य सभी जरूरी उपकरण उपलब्ध हैं। शेखावत ने बताया कि इस केन्द्र में विधायक गण तथा विधानसभाकर्मी प्रतिदिन आकर व्यायाम कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष के साथ मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ईश्वर दास रोहाणी, जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर लोन, बिहार विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, अरूणाचल प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष तपांग तालोह, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक सहित अन्य पीठासीन अधिकारियों ने भी जिम को देखा और इसकी सराहना की।

महका भारत, दिनांक 23.0.9.2011

लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह शेखावत, महापौर ज्योति खण्डेलवाल एवं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डॉ. चन्द्रभान गुरुवार को विधायक के बाग में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेते हुए।

शेखावत ने पीठासीन अधिकारियों की समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया

प्रश्नकाल की गरिमा बनाए रखने की सिफारिश

जयपुर, 22 सितम्बर (कार्स)। विधानसभा अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह ने गुरुवार को कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पीठासीन अधिकारियों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। रायपुर छत्तीसगढ़ में 23 जुलाई 2005 को आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय के पश्चात अध्यक्ष, लोकसभा ने यह समिति गठित की थी। वर्तमान में उपाध्यक्ष, लोकसभा कड़िया मुंडा के सभापतित्व में गठित समिति के सदस्य के रूप में शेखावत ने यह प्रतिवेदन पीठासीन अधिकारियों के 76वें सम्मेलन में प्रस्तुत किया। इस समिति में गोवा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सदस्य हैं। समिति ने प्रश्नकाल की गरिमा बनाए रखने की सिफारिश की है ताकि सदस्यों की जानकारी प्राप्त करने सम्बन्धी अधिकार सुरक्षित रहने के साथ ही सरकार की जवाबदेह बनाया जा सके। समिति ने सदनों को बार-बार स्थगित कराने और अनावश्यक शोर-शराबा करने की प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता महसूस की ताकि संसदीय प्रणाली में जनता का विश्वास बना रह सके और विधायी निकायों में विश्वसनीयता और उनकी अच्छी छवि बन सके। समिति ने सदनों में सदस्यों की कम उपस्थिति को गम्भीरता से लेते हुए सिफारिश की है कि राजनीतिक दल अपने सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करें ताकि गणपूर्ति बनी रहे। साथ ही सदस्य इस बात पर भी विचार करें कि गणपूर्ति के अभाव में बार-बार बाधाओं के कारण बैठकें स्थगित होने पर दैनिक भत्ता लेना नैतिक रूप से उचित है? प्रतिवेदन में विधायिकाओं की बैठकों की संख्या में धीरे-धीरे आ रही कमी और लोक महत्व के मुद्दे उठाने के अवसरों में आ रही कमी पर सिफारिश की है कि छोटे राज्यों की विधायिकाओं की एक वर्ष के दौरान कम से कम साठ दिनों तथा बड़े राज्यों में कम से कम सौ दिनों तक बैठकें हों तथा इसके लिए संविधान संशोधन किया जाए। समिति ने अपनी सिफारिश में संसदीय समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका एवं कार्यों को देखते हुए समिति प्रणाली को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही राज्य की विधायिकाओं को भी विभागों सम्बन्धी स्थाई समितियां स्थापित करने को कहा है, जहां ये अब तक स्थापित नहीं की गई हैं। समिति ने संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण में राज्य विधायिकाओं द्वारा पिछले कुछ दशकों के दौरान राज्यों द्वारा किए गए अधिक शेष पृष्ठ दस पर

प्रश्नकाल की गरिमा....

व्यय को नियमित नहीं करने पर चिंता जताते हुए राज्य विधानसभाओं की लोक लेखा समितियों द्वारा नियमित आधार पर अधिक व्यय की जांच की आवश्यकता बताई है। प्रतिवेदन में चूककर्ता मंत्रालयों को अधिक व्यय करने के लिए फटकार लगाने तथा अधिक व्यय को नियमित करने की सिफारिश करने से पूर्व चेतावनी देने की जरूरत भी बताई। समिति ने अपने प्रतिवेदन में आश्वासन पूरा करने में अत्यधिक देरी को देखते हुए सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के कार्यकरण का पुनर्गठन करने की अत्यधिक आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि सदन के अन्दर दिए गए आश्वासन शीघ्रता से पूरे किए जा सकें। प्रतिवेदन में संविधान के अनुच्छेद 98 और 187 के अनुसार विधान मण्डल के सचिवालयों की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए प्रत्येक विधान मंडल में कानून बनाने की आवश्यकता बताई। इस कानून के तहत उनके सचिवालय के स्टाफ की नियुक्ति तथा सेवा शर्तें विनियमित की जा सकें ताकि समर्पित, अत्यधिक योग्य, निष्पक्ष तथा कुशल अधिकारियों का संवर्ग तैयार किया जा सके और शक्ति के संभावित इकतरफा प्रयोग पर अंकुश लग सके और बाहरी हस्तक्षेप भी न हो। समिति ने विधान मंडल तथा उनकी समितियों द्वारा किए गए काम से सम्बन्धित सूचना को एकत्र करने तथा इसके मिलान के लिए एक संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विधान मण्डल सचिवालय में एक समन्वय प्रकोष्ठ स्थापित करने की आवश्यकता बताई है। इस व्यवस्था से नियमित रूप से लोक सभा सचिवालय के समन्वय प्रकोष्ठ के साथ सूचना का आदान-प्रदान हो सकेगा। प्रतिवेदन में बताया गया है कि पीठासीन अधिकारियों की अगली बैठक में इस प्रतिवेदन की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए की गई कार्यवाही की समीक्षा की जाए।

समाचार जगत, दिनांक 23.09.2011

लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को राजस्थान विधानसभा के जिम का अवलोकन करवाते हुए विधानसभा अध्यक्ष दीपेन्द्रसिंह शेखावत।

लोकसभा अध्यक्ष ने विधानसभा में जिम का अवलोकन किया

जयपुर, 22 सितम्बर (कार्स)। लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने आज यहां राजस्थान विधानसभा परिसर में स्थापित जिम एवं योग केन्द्र का अवलोकन किया।

विधानसभा अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह शेखावत ने लोकसभा अध्यक्ष को जिम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुये बताया कि विधानसभा में हाल ही प्रारंभ किये गये इस जिम में व्यायाम के लिए अत्याधुनिक उपकरण लगाये गये हैं।

इसमें 3 ट्रेडमिल, 2 कांस ट्रेनर तथा चार साईकिलें और अन्य सभी जरूरी उपकरण उपलब्ध हैं। शेखावत ने बताया कि इस केन्द्र में विधायकगण तथा विधानसभाकर्मी प्रतिदिन आकर व्यायाम कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष के साथ मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ईश्वर दास रोहणी, जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर लोन, बिहार विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, अरूणाचल प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष तपांग तालोह, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक सहित अन्य पीठासीन अधिकारियों ने भी जिम को देखा और इसकी सराहना की।

राजस्थली के स्टाल आकर्षण का केन्द्र : पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के अवसर पर विधानसभा परिसर में विशेष रूप से लगाया गया राजस्थान लघु उद्योग निगम का ''राजस्थली'' स्टॉल सभी अतिथियों के लिये आकर्षण का केन्द्र बना हुआ हैं। राजस्थली के इस स्टॉल में जयपुरी रजाईयां, लाख के आईटम, मीनाकारी एवं पीतल की नक्काशी के आकर्षक आईटम, सजावटी सामान, लकड़ी का कलात्मक फर्नीचर तथा हस्तशिल्प के अन्य सामान प्रमुख है।

समाचार जगत, दिनांक 23.09.2011

RAJASTHAN VIDHAN SABHA SECRETARIAT
RESEARCH & REFERENCE BRANCH

dustantimes

HINDUSTAN TIMES, NEW DELHI
FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2011

ajasthan

quotemartial

In a house of 30, I try to be impartial and have not taken a single decision so far which reflects partiality on my part.

V KOTHANDARAMAN, speaker, Puducherry assembly

‘Neutrality is not difficult’

FOR STABILITY To check rowdyism, elected representatives must suo moto discipline themselves as no law can be enforced on them

BK Jha

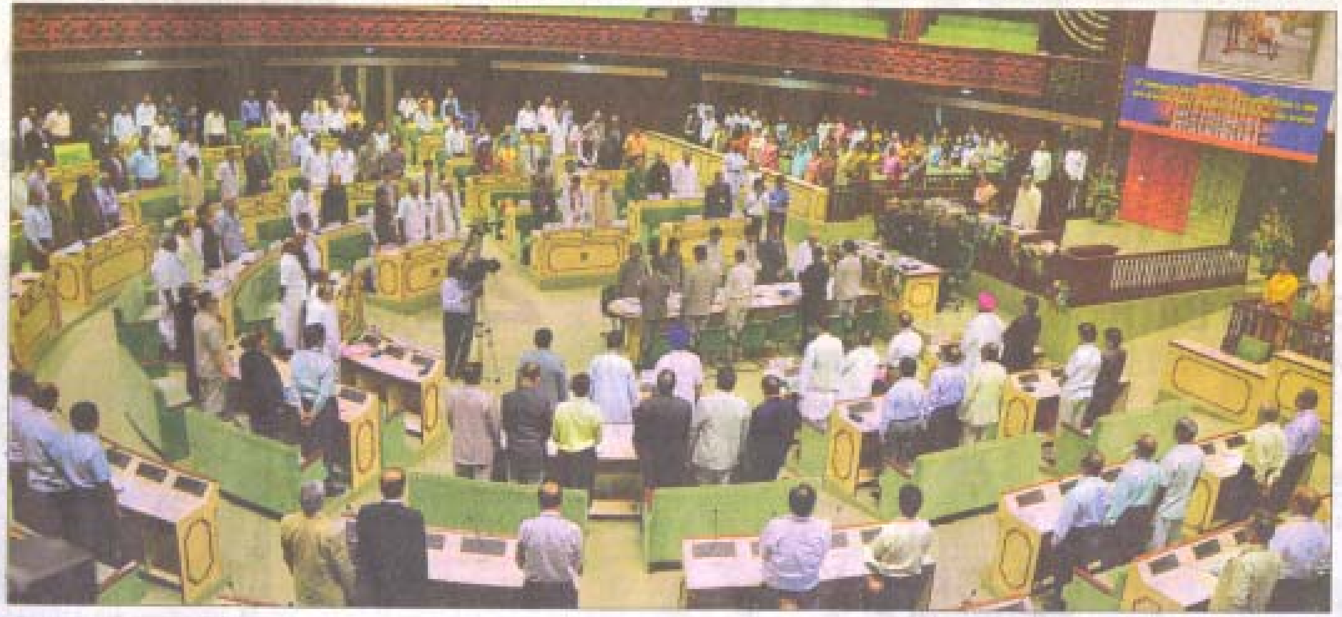

Delegates at the inaugural session of the 78th conference of presiding officers of legislative bodies in India, at the assembly. SP SHARMA/HT PHOTO

JAIPUR: Presiding officers of legislative bodies of the country said that neutrality or impartiality is desirable but it is difficult to achieve as each one belongs to a particular party. This fact influences their rulings in the House.

They said they are human beings and it may not be possible to be impartial.

Subjectivity may creep in time and again. Hindustan Times spoke to several presiding officers — speakers, deputy speakers, chairmen and deputy chairmen - about neutrality, judicial intervention, anti-defection law and conduct of members. They were candid in their reply.

The presiding officers felt that anti-defection bill should be implemented to strengthen the democracy.

It will also ensure the stability of the governments in the states and centre.

Hindustan Times, Dated 23.09.2011

▪ KG Bopaiah, speaker, Karnataka

MLAS MUST BE MADE RESPONSIBLE

Speaker, Karnataka Assembly KG Bopaiah is in favour of the right to recall public representatives. He said this will make legislators responsible to the public.

At present, legislators become complacent towards their constituents which frustrates the electorate. Once right of recall is in place, it will make legislative business meaningful. Voters should have right to recall if there is evidence of corruption against legislators or if their performance is not up to the mark.

Bopaiah was a senior Bharatiya Janata Party leader before assuming the office of speaker.

He said he tries to be impartial and allows each member time for discussions. He said that in Karnataka Assembly as in other assemblies, there is competition between the ruling party and opposition but on issues of national and larger interests, there is a consensus.

About Lokayukta reports, he said that normally House does not discuss these but once tabled they discuss it.

SPEAKERS CAN'T BE IMPARTIAL

Kuldeep Sharma before assuming the office of speaker was a senior and active member of Indian National Congress. He feels that complete impartiality cannot be achieved due to party affiliation. The ruling or majority party elects the speaker and after relinquishing the post, speakers go back to the same party. They also contest elections so speakers cannot be completely impartial.

"I am not saying they (presiding officers) do not try to be impartial, but even in that case they are attacked by the opposition parties," he said. He said that law making is a serious business and there should be effective and meaningful discussions on bills. But the executive is in a hurry to conduct legislative business so discussions are avoided. About judicial intervention, he said that if the court intervenes on "illegality" then legislature should not complain. In other cases it affects the dignity of the House.

▪ Kuldeep Sharma, speaker, Haryana

WE HAVE A PEACEFUL ASSEMBLY

Tulsi Ram Sharma claimed that his assembly was the most peaceful in the country. During proceedings it has never witnessed ugly scenes. A Bhartiya Janata Party stalwart before assuming the office of speaker, Sharma said that in Himachal Pradesh, he keeps both the ruling party and the opposition members happy. He said he never discriminates.

"No one from the opposition has complained that he/she was not allowed enough time for debate or discussion in the House," he added.

He felt the office of speaker was dignified and it should be above party politics. He said that Himachal Pradesh is a relatively small state. It is dominated by two parties, the BJP and the Congress.

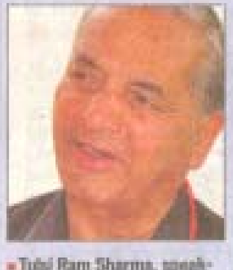

▪ Tulsi Ram Sharma, speaker, Himachal Pradesh

WE NEED AN ANTI- DEFECTION AGENCY

▪ Mauvin H Godinho, deputy speaker, Goa

Mauvin Godinho, deputy speaker of the Goa Assembly, feels that there should be an independent agency to deal with cases of defection. Before assuming the office of deputy speaker, he belonged to Indian National Congress. He said that in present political situation and the era of coalition governments, defection cannot be ruled out. Speakers have a soft corner towards the ruling party as in most cases, they come from this party. They are tempted to delay a ruling, he said. He added that sometimes under pressure from the party, speakers are not able to take a judicious decision in this regard. So an independent body can take a decision on anti-defection law in a time-bound manner.

MEMBERS UNAWARE OF ROLE OF LAWMAKERS

Tara Kant Jha feels that the MLAs have an important role in law making but they are not a serious lot. Jha was a very senior BJP leader before assuming the office of chairman. He said that the Council has put up over 100 speeches, records and other documents on its website but the legislators do not read them. The issue of women's reservation, sanitation were discussed long back in 1922-23. If legislators go through these documents they will be able to make new laws with many new ideas. But now 14 bills are passed in a day or two. Jha advocates that all draft Bill should go to a select committee and even public opinion should be solicited. He also recommends that before making law especially welfare schemes the pressure on public exchequer should assessed to see whether the state is in a position to carry on such schemes or not. On rowdy behavior of members, he said personal conduct plays important role here.

▪ Tara Kant Jha, chairman, Bihar Legislative Council

EVERY STATE MUST HAVE A LEGISLATIVE COUNCIL

▪ Arvinder Singh Micky, deputy chairman, J&K

Arvinder Singh Micky believes that for wider representation and to seek the support all section including as intellectuals, professionals and women in effective law making every state should have a Council. Being upper house, it credibility and quality is always far ahead of the lower house. Assembly members including ministers, sometimes, narrow their vision and favour their constituents but Council members provide a broader vision on every issue, he said.

Singh is acting as chairman as well in absence of a chairman and before assuming the post ; he was an active member of Congress.

He feels that the presiding officers should be neutral but that rarely happens because the chair come due to the party affiliation itself. "I tries to be impartial and that is the reason, during my tenure, no walk-out took place," Singh boasted.

OPPN DOUBTS SPEAKER'S ROLE

For Chandreshwar Prasad Singh, running house peacefully with presence of multi party and many independents is a very tough task. He says that after assuming the post of speakers and keeping dignity of this office, he tries to be impartial but it is difficult to keep everyone happy and opposition members will always doubt his rulings and the ruling coalition always look for help in the matter of law making.

Before assuming office, Singh was a senior leader of BJP which is ruling the state with inside support of Jharkhand Mukti Morcha.

Singh feels that money plays important role in present day electoral politics, members want to become part of the government and that leads to chaos. In smaller state like Jharkhand with 82 members, the stability of government is always at stake because of political upheaval. Anti defection law has come handy to check instability. He said MLAs should take law making business and devout time to development.

▪ Chandreshwar Prasad Singh, Speaker, Jharkhand

Hindustan Times, Dated 23.09.2011

■ Pradeep Kumar Amat, Speaker, Orissa

LAWMAKERS MUST FOCUS ON LAW MAKING

For Pradeep Kumar Amat, neutrality depends on person to person and is specific to a case. Earlier, a senior member of the ruling Biju Janata Dal, Amat said that speakers should be judicious and abide by rules and regulations.

About unhealthy atmosphere or rowdy behavior of members in the House, the speaker said that for the past three years, Orissa assembly has set up an ethics committee which aims to enforce discipline among members as cases of indiscipline and misconduct are referred to it.

He said that though the committee looks after such matters, a lot needs to be done in this regard. Lawmakers should concentrate on law-making instead of levelling personal allegations at each other. He believes law making should take time and judicial intervention.

A photo exhibition at the conference at the State Assembly. SP SHARMA/HT PHOTO

Delegates getting photographed. SP SHARMA/HT PHOTO

5 speaker host Rajasthan Assembly Speaker Deependra Singh Shekhawat going to the Jal Mahal. SP SHARMA/HT PHOTO

Hindustan Times, Dated 23.09.2011

PRESIDING OFFICERS' DAY OUT IN THE CITY

Lok Sabha speaker and presiding officers of legislative bodies found a way to unwind in Jaipur

Late evening boating in the Mansagar lake. SP SHARMA/HT PHOTO

Meira Kumar inspects the guard of honour at the 76th conference of presiding officers. SP SHARMA/HT PHOTO

HT Correspondent

It was a change from their busy schedules and they were far from the madding crowd. This was true for over 400 delegates including secretaries and presiding officers of legislative bodies from all states and their spouses and personal staff who are in Jaipur for the conference of secretaries and presiding officers.

The art, architecture and culture of the Pink City mesmerised the visitors. "I am enjoying the beautiful palaces, forts and other monuments. I will go to the market to buy traditional clothes," said Kulwinder Singh, wife of chairman, Jammu and Kashmir Legislative Assembly Arvinder Singh Mickey. "It will turn out to be a memorable trip for me," she added.

> From noisy and rowdy affairs of our assemblies to such a nice place, the Pink City is providing us peace of mind.
> –Jharkhand speaker

Speakers, deputy speakers, chairmen and deputy chairmen are staying at Hotel Marriot near the airport while other delegates are at the nearby hotel Bella Casa.

After a day-long discussion on legislative business on Wednesday, the delegates visited the historical place Jal Mahal. Host Jal Mahal Resorts Ltd took Speaker Lok Sabha Meira Kumar and others to Jal Mahal Palace, which is being restored and renovated by the company. As the guide explained the historical importance of the place, delegates captured it in their cameras.

"It is a wonderful evening and relaxing. From noisy and rowdy affairs of our assemblies to such a nice and peaceful place, the Pink City is providing us peace of mind," said CP Singh, speaker of Jharkhand assembly.

Late in the evening, they enjoyed a light and sound programme at Amber and had a dinner hosted by the Lok Sabha, speaker.

Hindustan Times, Dated 23.09.2011